उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

सोमवार, 18 आषाढ़, शक संवत्, 1929

(दिनांक : 09 जुलाई, 2007)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी "क")।
2. अन्य प्रश्न (देखिये नत्थी "ख")।
3. निधन के निदेश।
4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
5. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
6. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
7. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
8. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
9. संसदीय कार्य मंत्री निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

"मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के संगत नियमों के अधीन लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्त जाति समिति, जिसमें समिति के गठन हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्राविधान है, में कार्य करने के लिये माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।"

10. संसदीय कार्य मंत्री निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

"मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त तथा समय-समय पर यथा संशोधित की धारा 10, उपधारा (छ) के अनुसरण में यह सदन गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालय पन्त नगर की प्रबन्ध कार्यकारिणी के पदेन सदस्य के रूप में दो सदस्यों को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष विधान सभा को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।"

11. वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-

1- राजस्व मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 2265049 हजार (दो सौ छब्बीस करोड़ पचास लाख उनचास हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

2- खाद्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25, खाद्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 340070 हजार (चौंतीस करोड़ सत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

3- आबकारी मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08, आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 33112 हजार (तीन करोड़ इकतीस लाख बारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ङ)**)

4- शिक्षा मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 11639853 हजार (एक हजार एक सौ तिरसठ करोड़ अट्ठानवे लाख तिरपन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(च)**)

5- श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16, श्रम और रोजगार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 514355 हजार (इक्यावन करोड़ तैंतालीस लाख पचपन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(छ)**)

6- पर्यटन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26, पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 463097 हजार (छियालीस करोड़ तीस लाख सत्तानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ज)**)

7- मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 8788880 हजार (आठ सौ अठहत्तर करोड़ अठ्ठासी लाख अस्सी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(झ)**)

8- मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10, पुलिस एवं जेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 2762152 हजार (दो सौ छिहत्तर करोड़ इक्कीस लाख बावन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ञ)**)

9- मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21, ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 2222966 हजार (दो सौ बाईस करोड़ उन्तीस लाख छियासठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ट)**)

10- मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22, लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 5544336 हजार (पाँच सौ चौवन करोड़ तैंतालीस लाख छत्तीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ठ))

11- मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15, कल्याण योजनायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 2038952 हजार (दो सौ तीन करोड़ नवासी लाख बावन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ड))

12. पंचायती राज मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड पंचायत विधि (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय (30मिनट)।

13. पंचायती राज मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड पंचायत विधि (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

14. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

15. उत्तराखण्ड के जनपद हरिद्वार के आर0एम0पी0 (पी0जी0) कालेज गुरूकुल नारसन संबद्ध एच0एन0बी0 विश्वविद्यालय की पी0एस0सी0ए0जी0 का परीक्षा परिणाम घोषित न होने से छात्रों में आक्रोश उत्पन्न होने के संबंध में श्री हरिदास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2007 को दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

16. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र राजपुर के अन्तर्गत ग्र्रम- जाखन में कैनाल रोड़ माता वाली सुन्दरी के मन्दिर के सामने रिस्पना नदी में निर्मित पुल के संबंध में श्री गणेश जोशी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2007 को नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 09 जुलाई, 2007

(महेश चन्द्र)
सचिव।

द्वितीय सत्र, 2007
का द्वितीय सोमवार

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

सोमवार, 18 आषाढ़, शक संवत्, 1929
(दिनांक : 09 जुलाई, 2007)

नत्थी "क"

अल्पसूचित प्रश्न

श्री प्रीतम सिंह 14–06–2007	** क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में मार्च, 2007 से अब तक कितने उद्योगपतियों द्वारा कितना पूंजी निवेश किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?	आद्यौगिक विकास
श्री ओम गोपाल श्री सुरेन्द्र राकेश 02–07–2007	** क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकारी वाहनों में वर्ष 2001–02 में लाल/नीली बत्तियों के संबंध में जारी शासनादेश को वर्ष 2006 में संशोधित किया गया? यदि हाँ, तो इस शासनादेश के लागू करते समय सभी पहलुओं पर विचार किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?	परिवहन

नत्थी "ख"

तारांकित प्रश्न

श्री सुरेन्द्र राकेश
17–05–2007

*1. न्यायालय के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त

कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'
22–05–2007

*2. क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि ऊर्जा विभाग द्वारा जनपद हरिद्वार के निजी नलकूप कनैक्शन आंवटन हेतु नीति तैयार न किये जाने के कारण गत वर्ष में पंजीकृत कनैक्शन अभी तक किसानों को जारी नहीं किये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या इसका प्रतिकूल प्रभाव कृषि पर पड़ रहा है? क्या सरकार लोकहित में निजी नलकूप कनैक्शन हेतु अविलम्ब नीति तैयार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? ऊर्जा

श्री ओम गोपाल
05–06–2007

*3. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश में समूह 'ग' व 'घ' श्रेणी के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिये "स्थायी निवास प्रमाण पत्र" की व्यवस्था को समाप्त कर उसके स्थान पर "मूल निवास प्रमाण पत्र" प्रस्तुत किये जाने की योजना पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो शासनादेश कब तक जारी किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? कार्मिक

श्री गोपाल सिंह रावत
24–05–2007

*4. क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी में लोहारीनाग पाला, पाला मनेरी जल विद्युत परियोजना निर्माण से निर्माण कम्पनियों द्वारा उच्च क्षमता की विस्फोटक सामग्री का उपयोग किये जाने से ग्राम भुक्की, सालंग हुर्री तथा आसपास के अन्य गांवों में स्थित भवनों में दरारें पड़ रही हैं, जिससे ग्रामीण काश्तकारों में भय व्याप्त हैं तथा ग्रामीणों द्वारा क्षतिपूर्ति की मांग का जा रही है? क्या सरकार प्रभावित गांवों की जांच करवाकर प्रभावितों को क्षतिपूर्ति का भुगतान करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? ऊर्जा

श्री प्रीतम सिंह
29–05–2007

*5. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार प्रदेश के किन–किन क्षेत्रों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किये जाने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

समाज कल्याण

श्री पुष्पेश त्रिपाठी
29–05–2007

*6. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के किन–किन तकनीकी शिक्षण संस्थानों में ठेकेदारी/सर्विस प्रोवाइडर प्रथा को लागू किया गया है? क्या सरकार इन शिक्षण संस्थानों में से ठेकेदारी प्रथा/सर्विस प्रोवाइडर प्रथा को समाप्त कर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया स्थायी रूप से किये जाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

तकनीकी शिक्षा

श्री पुष्पेश त्रिपाठी
29–05–2007

*7. क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में स्थापित लघु जल विद्युत परियोजनायें निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उत्पादन कर रही है? यदि नहीं, तो कौन–कौन सी परियोजनायें ऐसी हैं जो लक्ष्य के अनुरूप उत्पादन नही कर रही है तथा उनमें निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उत्पादन हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

ऊर्जा

श्री खजानदास
30–05–2007

*8 क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि शासनादेश सं0 270/स0क0 2004/376 (समाज कल्याण) 2003, दि0 31.01.2004 से (अनुसूचित जातियों, अनु0 जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण) अधिनियम 1994 की अनुसूची एक की प्रविष्टि 83 में रवॉल्टा/जौनपुरी समुदाय को अन्य पिछड़ी जाति में सम्मिलित किया गया है? क्या यह सत्य है कि जौनपुर विकासखण्ड का एक हिस्सा जो सकलाना पट्टी के नाम से जाना जाता है को ओ0बी0सी0 के लाभ से वंचित कर दिया गया है? क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान में है कि सकलाना जौनपुर विकासखण्ड का अहम हिस्सा है तथा सकलाना की बोली–भाषा, रीति–रिवाज, रहन–सहन एक ही प्रकार के हैं तथा उक्त सकलाना क्षेत्र सहित जौनपुर एवं रवाई क्षेत्र के लोग वर्ष 1953 से जनजाति क्षेत्र घोषित किये जाने की मांग करते चले आ रहे हैं? क्या जौनपुर क्षेत्र के (सकलाना) क्षेत्र को आरक्षण के लाभ से वंचित किया जाना न्याय संगत है? यदि हाँ, तो क्या सरकार सकनाला क्षेत्र को ओ0बी0सी0 की परिधि में शामिल करने का शासनादेश जारी करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

समाज कल्याण

श्री खजानदास
31–05–2007

*9. अस्पष्टता के आधार पर निरस्त

श्री ओम गोपाल
05–06–2007

*10. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पुलिस विभाग के नागरिक पुलिस, सशस्त्र पुलिस, अभिसूचना विभाग, सर्तकता विभाग में कुल ऐसे कितने सिपाही हैं जिन्होंने सन्तोषजनक 24 वर्ष की सेवा पूर्ण कर प्रोन्नत वेतनमान रू0 5500–9000 भी प्राप्त कर लिया है, किन्तु अभी तक सिपाही के पद पर ही नियुक्त हैं? क्या मुख्यमंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि ऐसे आरक्षियों को इतनी लम्बी सेवा अवधि बीतने के बाद भी प्रोन्नति न दिये जाने के क्या कारण हैं? क्या सरकार ऐसे आरक्षियों को प्रोन्नति प्रदान करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उपरोक्त विभाग में मुख्य आरक्षी, उपनिरीक्षकों व निरीक्षकों के कुल कितने पद रिक्त हैं आरै कब से?

गृह

श्री ओम गोपाल
05–06–2007

*11. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सिडकुल एल्डिको परियोजना घोटाला की जांच हेतु वर्मा कमीशन का कार्यकाल कितना निश्चित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जांच हेतु क्या–क्या बिन्दु निर्धारित किये गये है?

औद्योगिक विकास

श्री हरभजनसिंह चीमा
06–06–2007

*12. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के शहरों के हो रहे अनियोजित विकास की समस्या के समाधान हेतु पूर्व में उ0प्र0 सरकार द्वारा बनाये गये देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल विकास प्राधिकरणों को समोयोजित करते हुए उत्तराखण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट अथौरिटी (उडा) का निर्माण किये जाने हेतु विधेयक लाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

आवास

श्री हरभजनसिंह चीमा 07–06–2007	*13. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड के नगर निगम, नगर महापालिका, नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों के द्वारा सफाई व्यवस्था के प्रति पूर्व सरकार द्वारा स्वच्छता समितियों का गठन कर व्यवस्था किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों में संशोधन किये जाने पर सरकार क्या अग्रेत्तर कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	नगर विकास
श्री ओम गोपाल 11–06–2007	*14. क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान में है कि होमगार्ड के जवान को 100 रू0 प्रतिदिन के हिसाब से पारिश्रमिक दिया जा रहा है जो कि निवास स्थान से दूर ड्यूटी लगने के परिणाम स्वरूप खाने एवं रहने में ही खर्च हो जाता है? क्या मुख्यमंत्री को यह भी जानकारी है कि एक वर्ष में होमगार्ड के जवानों को केवल दो या तीन माह की ही ड्यूटी मिलती है एवं ड्यूटी के लिये वर्षभर में एक ही वर्दी की आपूर्ति की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या मुख्यमंत्री प्रश्नगत समस्याओं के निराकरण पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	चतुर्थ सोमवार के तारांकित 03 में स्था0
श्री राजेश जुवाँठा 13–06–2007	*15. क्या उद्यान मंत्री अवगत हैं कि उत्तरकाशी जनपद के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकासखण्ड मोरी, पुरोला व नौगांव में अधिकांश सेब की बागवानी की जाती है? क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा बागवानों को बी ग्रेड या ओलावृष्टि आदि आपदाओं से क्षतिग्रस्त सेब की फसल का समर्थन मूल्य लगभग 5 रूपये प्रति किलोग्राम बगीचे में देती है? यदि हाँ, तो क्या सरकार हिमाचल प्रदेश के बागवानों के समान उत्तराखण्ड में भी समर्थन मूल्य देने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान
श्री राजेश जुवाँठा 13–06–2007	*16. क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि उत्तराकाशी जनपद के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला में दिनांक 05.11.2006 को आराकेट चिवां मोटर मार्ग टी0जी0एम0ओ0 की बस सं0 यू0ए0 10/4707 दुर्घटना होने से बस चालक एवं एक व्यक्ति ईसरू पुत्र हरदास निवासी ग्राम दुचाणू की दुर्घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी थी? क्या या सत्य है कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा इस बस दुर्घटना में मृतक लोगों के आश्रितों हेतु एक–एक लाख रूपये तथा सभी घायलों के लिये बीस हजार प्रति घायल के हिसाब से मुआवजा राशि स्वीकृत की गयी? क्या यह सत्य है कि चुनाव आचार संहिता लगने के कारण स्वीकृत धनराशि के आवंटन पर रोक लग गयी? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे सरकार गठन के चार माह व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी उक्त धनराशि मृतक परिवारों के आश्रितों को वितरित न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या सरकार उक्त धनराशि का वितरण शीघ्र करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	मुख्यमंत्री कार्यालय

श्रीमती विजय बड़थ्वाल 13–06–2007	*17. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लक्ष्मणझूला कांडी मोटर मार्ग के स्थान गरूड़ चट्टी में गंगा नदी पर दो लेन का मोटर पुल के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण है? क्या सन् 2007 में पुल द्वारा वाहनों का आवागमन शुरू कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री खजानदास 15–06–2007	*18. क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विगत वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय मार्ग में आवंटित धन को राज्य मार्ग मद में व्यय किया गया है? यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है तथा इस तरह का प्रस्ताव करने तथा स्वीकृत करने के लिये कौन–कौन अधिकारी दोषी है? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्रीमती विजय बड़थ्वाल 15–06–2007	*19. क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि उत्तरांचल पावर कार्पोरेशन का ढ़ांचा क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कार्पोरेशन में उप महाप्रबंधक के पद से मुख्य प्रबंधक निदेशक तक के कुल कितने पद है तथा इन पदों पर नियुक्तियां किस प्रक्रियान्तर्गत कब–कब की गई है? वर्तमान में अधिकारी संवर्ग में कुल कितने पद रिक्त है तथा इन पर भर्ती की प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जाएगी?	ऊर्जा
कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' 15–06–2007	*20. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 (सं0 27/1993) की धारा–9(2) के अनुरूप राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित संस्तुति को लागू करेगी? क्या यह सत्य है कि उक्त का उल्लेख उत्तरांचल राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2003 में नही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियों को राज्य में लागू करने हेतु अधिनियम में संशोधन करने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	समाज कल्याण

अतारांकित प्रश्न

हाजी तसलीम अहमद 05–06–2007	1. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जिला हरिद्वार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र लालढ़ांग के ग्राम शाहपुर शीतलखेड़ा क्रेशर से ग्राम भोगपुर, ग्राम भिक्कमपुर, ग्राम निरंजनपुर से रायसी तक लगभग 20 कि0मी0 मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का पुनः निर्माण करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री हरभजनसिंह चीमा 06–06–2007	2. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला उधमसिंह नगर की नगरपालिका काशीपुर की सीवरेज समस्या के समाधान हेतु प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उसका प्रारूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	तृतीय बुधवार के अता0 1 में स्था0
श्री हरभजनसिंह चीमा 06–06–2007	3. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला उधमसिंह नगर की नगरपालिका काशीपुर के लक्ष्मीपुर पट्टी क्षेत्र में अवस्थापना निधि के अन्तर्गत 15.37 करोड़ रूपये की लागत से मल्टीकम्लेक्स शांपिग माल का निर्माण किया जाना स्वीकृत है? यदि हाँ, तो क्या इस उक्त प्रस्ताव हेतु शासन द्वारा धन अवमुक्त कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?	नगर विकास
श्री ओम गोपाल 06–06–2007	4. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पुलिस विभाग में सिपाही, मुख्य आरक्षी, उपनिरीक्षक की भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा (फिजीकल टेस्ट) की पारदर्शिता हेतु कोई व्यवस्था किये जाने पर विचार किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	चतुर्थ सोमवार के अता0 5 में स्था0
हाजी तसलीम अहमद 11–06–2007	5. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र लालढ़ांग जिला हरिद्वार के ग्राम बादशाहपुर झबीरन (हरिद्वार–लक्सर रोड़) से ग्राम गूर्जर बस्ती पथरी तक आबादी भाग में लगभग 1500 मीटर सी0सी0 मार्ग और नाला व आबादी से बाहर तीन कि0मी0 डामरी मार्ग का निर्माण और बेगम रौपर पुल का निर्माण कार्य कराने का कष्ट करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
हाजी तसलीम अहमद 11–06–2007	6. क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र लालढ़ांग जिला हरिद्वार के ग्राम सुल्तानपुर आदमपुर के मौहल्ला बड़ा बगड, सराय, बहादरपुर जट इक्कड आदि ग्रामों में विद्युत तारों के जर्जर जीर्ण–शीर्ण विद्युत लाईन के तारों को बदलने की कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	ऊर्जा

श्री राजेश जुवाँठा
12–06–2007

7. क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला में बिजली की भारी समस्या है तथा जहाँ पूर्व से बिजली की लाईन बनी है, वहाँ विद्युत आपूर्ति नियमित नहीं है? क्या यह सत्य है कि बिजली विभाग में स्टाफ की कमी के कारण उपभोक्ताओं को नियमित विद्युत आपूर्ति नहीं मिल पाती है? क्या मंत्री जी अवगत हैं कि इस विधान सभा क्षेत्र के कुछ राजस्व गांव के मझरे अभी भी बिजली की सुविधा से वंचित है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस ओर कोई सकारात्मक कदम उठा रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा

श्री राजेश जुवाँठा
12–06–2007

8. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत खाईघाटी नौगांव के नाम से पूर्व सरकार द्वारा एक अग्निशमन केन्द्र स्वीकृत किया गया था? क्या यह सत्य है कि अभी तक उक्त केन्द्र की स्थापना नहीं की गयी है? यदि हाँ, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है?

गृह

श्री ओम गोपाल
13–06–2007

9. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में तथा उसके अलावा पूरे प्रदेश में कुल ऐसे कितने स्वीकृत मोटर मार्ग/हल्का वाहन मार्ग है, जो भारत सरकार के वन मंत्रालय में निर्माण आरम्भ किये जाने कि स्वीकृति की प्रत्याशा में लम्बित है? क्या मुख्यमंत्री जी भारत सरकार में स्वीकृति के लिये लम्बित मोटर मोर्गो हल्का वाहन मार्ग का शीघ्र निराकरण करवाने के लिये उच्च स्तर की समन्वय समिति बनाने पर विचार करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री प्रीतम सिंह
13–06–2007

10. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के विकासखण्ड चकराता में त्यूनी कोटी मोरी मोटर मार्ग के चातरी खड्ड पर पुलिया निर्माण की स्वीकृति कब हुई? क्या उक्त पुलिया को निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री प्रीतम सिंह
13–06–2007

11. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के डिमोऊ–लेल्टा सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण व डामरीकरण हेतु कब व कितनी धनराशि स्वीकृत हुई? क्या निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों तथा निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा? क्या कार्य की गुणवत्ता लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुरूप पाई गई है? यदि नहीं, तो दोषी के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी?

लोक निर्माण

श्री ओम गोपाल
14–06–2007

12. क्या सूचना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 01 अप्रैल, 2005 से 28 फरवरी, 2007 तक पूरे प्रदेश को जनपदवार सरकारी विज्ञापन किन–किन दैनिक समाचार पत्रों, साप्ताहिक समाचार पत्रों, मासिक पत्रिकाओं, पाक्षिक पत्रिकाओं एवं साप्ताहिक मैग्जीनों को कितनी–कितनी धनराशि के विज्ञापन जारी किये गये? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि दि0 1.04.2005 से 28 फरवरी, 2007 तक कुल कितनी धनराशि विज्ञापनों पर खर्च की गयी? क्या विज्ञापनों हेतु वितरित की गयी धनराशि मानकों के अनुरूप है? क्या सरकार विज्ञापन आवंटन समान रूप से करने के लिये कोई मापदण्ड निर्धारित करने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सूचना

श्री प्रीतम सिंह
14–06–2007

13. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के कालसी सहिया चकराता मोटर मार्ग के रख–रखाव व डामरीकरण हेतु धन की स्वीकृति कब तथा किस मद से हुई? क्या निर्माण कार्य हेतु निविदायें आमन्त्रित की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री प्रीतम सिंह
14–06–2007

14. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के चकराता विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत सहिया–क्वानू–मीनस मोटर मार्ग के डामरीकरण हेतु कितना धन उपलब्ध कराया गया है? क्या उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कार्य की गुणवत्ता लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुरुप हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री प्रीतम सिंह
14–06–2007

15. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के क्वासी–खबऊ हल्का वाहन मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करने व डामरीकरण हेतु विभाग को कब धन उपलब्ध कराय गया? क्या निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कार्य की गुणवत्ता लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुरूप है? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री खजानदास
15–06–2007

16. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी में करैंखाल से ग्राम गोदी (बड़ी) तक निर्माणाधीन मोटर मार्ग हेतु अधिगृहीत कृषकों की भूमि के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है? यदि हाँ किस–किस काश्तकार को उनके किस नम्बर के खेत का एवं कितना मुआवजा भुगतान किया गया है? यदि नहीं, तो क्यो?

लोक निर्माण

श्री प्रीतम सिंह 15–06–2007	**17.** क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरूदन के क्वासी–खबऊ–कोटा मोटर मार्ग में खबऊ से कोटा मोटर मार्ग निर्माण हेतु निविदायें आमन्त्रित की जा चुकी है? क्या निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों तथा निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होगा?	लोक निर्माण
श्री प्रीतम सिंह 15–06–2007	**18.** क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के कोटी–ईछाड़ी–क्वानू मोटर मार्ग के डामरीकरण हेतु कब धन उपलब्ध कराया गया है? क्या निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री प्रीतम सिंह 15–06–2007	**19.** क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के साहिया से पाटन–समाल्टा–डामटा मोटर मार्ग के डामरीकरण हेतु कब धन उपलब्ध कराया गया? क्या निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा?	लोक निर्माण
श्री प्रीतम सिंह 15–06–2007	**20.** क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के चकराता–सावड़ा मोटर मार्ग के डामरीकरण हेतु कितनी धनराशि कब उपलब्ध करायी गयी? क्या उक्त मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा?	लोक निर्माण
श्री प्रीतम सिंह 15–06–2007	**21.** क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के दारागाड़–केराड़ मोटर मार्ग के डामरीकरण हेतु कितना धन कब उपलब्ध कराया गया? क्या निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री प्रीतम सिंह 18–06–2007	**22.** क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के समरजेन्स मोटर मार्ग की स्वीकृति कब हुई तथा निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है? यदि हाँ, तो क्या उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री प्रीतम सिंह 18–06–2007	**23.** क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के कोटी, डिमोऊ, डांडा एवं देसेऊ मोटर मार्ग निर्माण व डामरीकरण हेतु धन कब स्वीकृत हुआ? क्या उक्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों तथा निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा?	लोक निर्माण

श्री राजेश जुवाँठा 18–06–2007	**24.** क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी पुरोला विधानसभा क्षेत्र हेतु स्वीकृत मोटर मार्गो पर कार्य आरम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या यह सत्य है कि कई पुराने मोटर मार्गो पर मलबा आदि आने से यातायात व्यवस्था ठप पडी हुई है? यदि हाँ, तो यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से आरम्भ करवाने के लिये सरकार कोई कदम उठा रही है?	लोक निर्माण
श्री राजेश जुवाँठा 18–06–2007	**25.** क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी विधानसभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत स्व0 बरफिया लाल जुवाँठा राजकीय महाविद्यालय क्षेत्र का मात्र एक ही महाविद्यालय है जहाँ दूर–दराज से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं? यदि हाँ, तो इस महाविद्यालय में वाणिज्य एवं कला संकाय की कक्षा आरम्भ करवाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?	उच्च शिक्षा
श्री राजेश जुवाँठा 18–06–2007	**26.** क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी विकासखण्ड मोरी में निमार्णाधीन खूनीगाड–देवती–सरास मोटर मार्ग को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिये गाला नामे तोक में मोटर पुल की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो उक्त मोटर पुल की स्वीकृति हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?	लोक निर्माण
श्री सुरेन्द्र राकेश 20–06–2007	**27.** क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में जनवरी, 2006 से जून, 2007 कितनी लूट, डकैती, हत्यायें, चोरी, बलात्कार, दलित उत्पीड़न एवं अन्य घटनायें जनपद के थानों में पंजीकृत हुई हैं तथा पंजीकृत अपराधों में से कितने अभियोजन दायर किये गये हैं तथा कितने मामलों में अन्तिम रिपोर्ट लगायी गई है?	गृह
श्री सुरेन्द्र राकेश 20–06–2007	**28.** क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में थाना भगवानपुर एवं चौकी पिरानकलियर का उच्चीकरण का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक उच्चीकृत कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	गृह
श्री ओम गोपाल 01–06–2007	**29.** क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पुर्नगठन आयुक्त कार्यालय विकास भवन लखनऊ में नियुक्त समूह 'ग' व 'घ' श्रेणी के कुल कितने कार्मिक उत्तराखण्ड के मूल निवासी हैं तथा कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी नहीं हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इनमें से कितने कार्मिक 9 नवम्बर, 2000 के बाद किन–किन विभागों में भर्ती हुए तथा इन कार्मिकों को लखनऊ तैनात किये जाने का औचित्य क्या है?	सचिवालय प्रशासन

नत्थी (ग)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या-06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग।

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
(क) 1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. श्री जोत सिंह गुनसोला, 3. श्री प्रीतम सिंह, 4. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 5. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 6. श्री राजेश जुवांठा, 7. श्री बलवीर सिंह नेगी, 8. श्री किशोर उपाध्याय, 9. श्री रणजीत सिंह रावत, 10. श्री महेन्द्र सिंह माहरा, 11. कुंवर प्रणव सिंह, 12. श्री करन माहरा, 13. श्री मनोज तिवारी, 14. श्री केदार सिंह रावत, 15. श्रीमती अमृता रावत, 16. श्री यशपाल आर्य, 17. श्री दिनेश अग्रवाल, 18. श्री तिलकराज बेहड़, 19. श्री गोपाल सिंह, 20. मयूख सिंह।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख) 1. श्री शहजाद, 2. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 3. श्री हरिदास, 4 चौ0 यशवीर सिंह, 5. श्री सुरेन्द्र राकेश, 6. हाजी तसलीम अहमद 7. श्री प्रेमानन्द महाजन, 8. श्री नारायण पाल।	-तदैव-

नत्थी (घ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या-25, खाद्य विभाग।

प्रस्तावक का नाम		प्रस्ताव का प्रारूप
(क)	1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. श्री जोत सिंह गुनसोला, 3. श्री प्रीतम सिंह, 4. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 5. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 6. श्री राजेश जुवांठा, 7. श्री बलवीर सिंह नेगी, 8. श्री किशोर उपाध्याय, 9. श्री रणजीत सिंह रावत, 10. श्री महेन्द्र सिंह माहरा, 11. कुंवर प्रणव सिंह, 12. श्री करन माहरा, 13. श्री मनोज तिवारी, 14. श्री केदार सिंह रावत, 15. श्रीमती अमृता रावत, 16. श्री यशपाल आर्य, 17. श्री दिनेश अग्रवाल, 18. श्री तिलकराज बेहड़, 19. श्री गोपाल सिंह, 20. मयूख सिंह।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख)	1. श्री शहजाद, 2. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 3. श्री हरिदास, 4 चौ0 यशवीर सिंह, 5. श्री सुरेन्द्र राकेश, 6. हाजी तसलीम अहमद 7. श्री प्रेमानन्द महाजन, 8. श्री नारायण पाल।	-तदैव-

नत्थी (ङ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या-08, आबकारी विभाग।

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
(क) 1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. श्री यशपाल आर्य, 3. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 4. श्री महेन्द्र सिंह माहरा, 5. श्री प्रीतम सिंह, 6. श्री दिनेश अग्रवाल, 7. श्री तिलक राज बेहड़, 8. श्रीमती अमृता रावत, 9. श्री किशोर उपाध्याय, 10. श्री जोत सिंह गुनसोला, 11. श्री रणजीत सिंह रावत, 12. श्री बलवीर सिंह नेगी, 13. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 14. श्री गोपाल सिंह राणा, 15. कुंवर प्रणव सिंह, 16. श्री केदार सिंह रावत, 17. श्री राजेश जुवांठा, 18. श्री करन माहरा, 19. श्री मनोज तिवारी, 20. श्री मयूख महर।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख) 1. श्री शहजाद, 2. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 3. श्री हरिदास, 4 चौ0 यशवीर सिंह, 5. श्री सुरेन्द्र राकेश, 6. श्री प्रेमानन्द महाजन, 7. हाजी तसलीम अहमद 8. श्री नारायण पाल।	-तदैव-

नत्थी (च)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या-11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग।

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
(क) 1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. श्री यशपाल आर्य, 3. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 4. श्री महेन्द्र सिंह माहरा, 5. श्री प्रीतम सिंह, 6. श्री दिनेश अग्रवाल, 7. श्री तिलक राज बेहड़, 8. श्रीमती अमृता रावत, 9. श्री किशोर उपाध्याय, 10. श्री जोत सिंह गुनसोला, 11. श्री रणजीत सिंह रावत, 12. श्री बलवीर सिंह नेगी, 13. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 14. श्री गोपाल सिंह राणा, 15. कुंवर प्रणव सिंह, 16. श्री केदार सिंह रावत, 17. श्री राजेश जुवांठा, 18. श्री करन माहरा, 19. श्री मनोज तिवारी, 20. श्री मयूख महर।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख) 1. श्री शहजाद, 2. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 3. श्री हरिदास, 4 चौ0 यशवीर सिंह, 5. श्री सुरेन्द्र राकेश, 6. श्री प्रेमानन्द महाजन, 7. हाजी तसलीम अहमद 8. श्री नारायण पाल।	-तदैव-

नत्थी (छ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या-16, श्रम और रोजगार विभाग।

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
(क) 1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. श्री यशपाल आर्य, 3. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 4. श्री महेन्द्र सिंह माहरा, 5. श्री प्रीतम सिंह, 6. श्री दिनेश अग्रवाल, 7. श्री तिलक राज बेहड़, 8. श्रीमती अमृता रावत, 9. श्री किशोर उपाध्याय, 10. श्री जोत सिंह गुनसोला, 11. श्री रणजीत सिंह रावत, 12. श्री बलवीर सिंह नेगी, 13. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 14. श्री गोपाल सिंह राणा, 15. कुंवर प्रणव सिंह, 16. श्री केदार सिंह रावत, 17. श्री राजेश जुवांठा, 18. श्री करन माहरा, 19. श्री मनोज तिवारी, 20. श्री मयूख महर।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख) 1. श्री शहजाद, 2. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 3. श्री हरिदास, 4 चौ0 यशवीर सिंह, 5. श्री सुरेन्द्र राकेश, 6. हाजी तसलीम अहमद 7. श्री प्रेमानन्द महाजन, 8. श्री नारायण पाल।	-तदैव-

नत्थी (ज)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

संख्या-26, पर्यटन विभाग।

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
(क) 1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. श्री यशपाल आर्य, 3. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 4. श्री महेन्द्र सिंह माहरा, 5. श्री प्रीतम सिंह, 6. श्री दिनेश अग्रवाल, 7. श्री तिलक राज बेहड़, 8. श्रीमती अमृता रावत, 9. श्री किशोर उपाध्याय, 10. श्री जोत सिंह गुनसोला, 11. श्री रणजीत सिंह रावत, 12. श्री बलवीर सिंह नेगी, 13. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 14. श्री गोपाल सिंह राणा, 15. कुंवर प्रणव सिंह, 16. श्री केदार सिंह रावत, 17. श्री राजेश जुवांठा, 18. श्री करन माहरा, 19. श्री मनोज तिवारी, 20. श्री मयूख महर।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख) 1. श्री शहजाद, 2. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 3. श्री हरिदास, 4 चौ0 यशवीर सिंह, 5. श्री सुरेन्द्र राकेश, 6. श्री प्रेमानन्द महाजन, 7. हाजी तसलीम अहमद 8. श्री नारायण पाल।	-तदैव-

नत्थी (झ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या-07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें।

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
(क) 1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. श्री यशपाल आर्य, 3. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 4. श्री महेन्द्र सिंह माहरा, 5. श्री प्रीतम सिंह, 6. श्री दिनेश अग्रवाल, 7. श्री तिलक राज बेहड़, 8. श्रीमती अमृता रावत, 9. श्री किशोर उपाध्याय, 10. श्री जोत सिंह गुनसोला, 11. श्री रणजीत सिंह रावत, 12. श्री बलवीर सिंह नेगी, 13. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 14. श्री गोपाल सिंह राणा, 15. कुंवर प्रणव सिंह, 16. श्री केदार सिंह रावत, 17. श्री राजेश जुवांठा, 18. श्री करन माहरा, 19. श्री मनोज तिवारी, 20. श्री मयूख महर।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख) 1. श्री शहजाद, 2. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 3. श्री सुरेन्द्र राकेश, 4. श्री हरिदास, 5. चौ0 यशवीर सिंह, 6. श्री नारायण पाल।	-तदैव-

नत्थी (ञ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या-10, पुलिस एवं जेल विभाग।

प्रस्तावक का नाम		प्रस्ताव का प्रारूप
(क)	1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. श्री यशपाल आर्य, 3. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 4. श्री महेन्द्र सिंह माहरा, 5. श्री प्रीतम सिंह, 6. श्री दिनेश अग्रवाल, 7. श्री तिलक राज बेहड़, 8. श्रीमती अमृता रावत, 9. श्री किशोर उपाध्याय, 10. श्री जोत सिंह गुनसोला, 11. श्री रणजीत सिंह रावत, 12. श्री बलवीर सिंह नेगी, 13. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 14. श्री गोपाल सिंह राणा, 15. कुंवर प्रणव सिंह, 16. श्री केदार सिंह रावत, 17. श्री राजेश जुवांठ, 18. श्री करन माहरा, 19. श्री मनोज तिवारी, 20. श्री मयूख महर।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख)	1. श्री शहजाद, 2. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 3. श्री सुरेन्द्र राकेश, 4. श्री हरिदास, 5. चौ0 यशवीर सिंह, 6. श्री प्रेमानन्द महाजन, 7. श्री तसलीम अहमद, 8. श्री नारायण पाल।	-तदैव-

नत्थी (ट)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या-21, ऊर्जा विभाग।

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
(क) 1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. श्री यशपाल आर्य, 3. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 4. श्री महेन्द्र सिंह माहरा, 5. श्री प्रीतम सिंह, 6. श्री दिनेश अग्रवाल, 7. श्री तिलक राज बेहड़, 8. श्रीमती अमृता रावत, 9. श्री किशोर उपाध्याय, 10. श्री जोत सिंह गुनसोला, 11. श्री रणजीत सिंह रावत, 12. श्री बलवीर सिंह नेगी, 13. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 14. श्री गोपाल सिंह राणा, 15. कुंवर प्रणव सिंह, 16. श्री केदार सिंह रावत, 17. श्री राजेश जुवांठा, 18. श्री करन माहरा, 19. श्री मनोज तिवारी, 20. श्री मयूख महर।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख) 1. श्री शहजाद, 2. चौ0 यशवीर सिंह, 3. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 4. श्री हरिदास, 5. श्री नारायण पाल। 6. श्री सुरेन्द्र राकेश,	-तदैव-

नत्थी (ठ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या-22, लोक निर्माण कार्य।

प्रस्तावक का नाम		प्रस्ताव का प्रारूप
(क)	1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. श्री यशपाल आर्य, 3. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 4. श्री महेन्द्र सिंह माहरा, 5. श्री प्रीतम सिंह, 6. श्री दिनेश अग्रवाल, 7. श्री तिलक राज बेहड़, 8. श्रीमती अमृता रावत, 9. श्री किशोर उपाध्याय, 10. श्री जोत सिंह गुनसोला, 11. श्री रणजीत सिंह रावत, 12. श्री बलवीर सिंह नेगी, 13. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 14. श्री गोपाल सिंह राणा, 15. कुंवर प्रणव सिंह, 16. श्री केदार सिंह रावत, 17. श्री राजेश जुवांठा, 18. श्री करन माहरा, 19. श्री मनोज तिवारी, 20. श्री मयूख महर।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख)	1. श्री शहजाद, 2. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 3. श्री हरिदास, 4. श्री सुरेन्द्र राकेश, 5. चौ0 यशवीर सिंह, 6. श्री नारायण पाल।	-तदैव-

नत्थी (ड)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या-15, कल्याण योजनायें।

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
(क) 1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. श्री यशपाल आर्य, 3. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 4. श्री महेन्द्र सिंह माहरा, 5. श्री प्रीतम सिंह, 6. श्री दिनेश अग्रवाल, 7. श्री तिलक राज बेहड़, 8. श्रीमती अमृता रावत, 9. श्री किशोर उपाध्याय, 10. श्री जोत सिंह गुनसोला, 11. श्री रणजीत सिंह रावत, 12. श्री बलवीर सिंह नेगी, 13. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 14. श्री गोपाल सिंह राणा, 15. कुंवर प्रणव सिंह, 16. श्री केदार सिंह रावत, 17. श्री राजेश जुवांठा, 18. श्री करन माहरा, 19. श्री मनोज तिवारी, 20. श्री मयूख महर।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख) 1. श्री शहजाद, 2. श्री हरिदास, 3. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 4. चौ0 यशवीर सिंह, 5. श्री सुरेन्द्र राकेश,	-तदैव-